

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) खीवासर

पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.**

उनवान

मनोज कुमार बनाम राजस्वयं-सरदार

दावा बाबत बनाम कुस्ती V/S 58 RTA

मुकदमा नम्बर :- 128/2021

निर्णय दिनांक :- 01-12-2021

वादी की ओर से शक्ति की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01-12-21 को **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी शक्ति के द्वारा लाकर कृषि भूमि खेती गन्ना सपपुरा पट्टा शक्ति की जमाबन्दी के खाता न. 125 में अंकित सांख्यिक पुस्तक मदनसाय के स्वयं पर मनोज कुमार पुत्र मदनसाय दर्ज करके के आदेश दिने जाते हैं। तहसीलदार चूरु अमरापुरा राजस्व रिकार्ड में अंकित करार करें। इफ्त नाम कुस्ती में अंकित के कोटिनिवाद में पर समस्त जिम्मेदारी राही भी होगी

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 01-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

01/12/21

(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

